

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

संख्या-18/बि0प्र0सु0मि0-03-10/2013सा0प्र0-7876-पटना 15, दिनांक- 1) जून, 2014

विषय:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्त पोषण एवं अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में व्यापक प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम एवं राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डी0एफ0आई0डी0) ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त संपोषित परियोजना के रूप में विभागीय संकल्प संख्या 8/विविध-12-14/08का0-5100 दिनांक 02.06.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी का गठन किया गया था।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी का गठन 06 वर्षों के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल जून, 2014 को पूरा हो जायेगा।

3. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा वर्तमान में निम्न कार्यों का संचालन किया जा रहा है :-

- (क) राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था तथा मानव संसाधन को दक्ष, प्रभावी एवं जिम्मेवार बनाना,
- (ख) लोक सेवकों की कार्यक्षमता, अभिप्रेरणा एवं कार्यकुशलता का विकास करना,
- (ग) जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना,
- (घ) सुशासन केन्द्र स्थापित करना,
- (ङ) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण,
- (च) पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चल-अचल संपत्ति की विवरणी को वेबसाईट पर अपलोड करना एवं
- (छ) हेल्पलाइन 'जिज्ञासा' का संचालन।

4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा संचालित किये जा रहे उक्त महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जून, 2014 के पश्चात् भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी को संचालित रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के अन्तर्गत सृजित योजना मद बजट मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष 092-अन्य कार्यक्रम-उपशीर्ष-0122-बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाईटी-विपत्र कोड-P2052000920122-राज्य योजना स्कीम कोड-GEN-5513 से वेतनादि मद में वार्षिक व्यय 37,44,19,632/- (सैंतीस करोड़ चौवालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ बत्तीस) रुपये तथा वेतनादि के अलावा अन्य मदों में 16,37,60,000/- (सोलह करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार) रुपये अर्थात् कुल 53,81,79,632/- (तीरपन करोड़ एकासी लाख उनासी हजार छः सौ बत्तीस) के अनुमानित व्यय पर वित्त पोषण एवं अनुदान देने की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(वीरेन्द्र प्रसाद यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/बि0प्र0सु0मि0-03-10/2013सा0प्र0-----7876-----पटना 15, दिनांक- 11 जून, 2014

प्रतिलिपि-ई0-गजट कोषांग (वित्त विभाग), बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/बि0प्र0सु0मि0-03-10/2013सा0प्र0-----7876-----पटना 15, दिनांक- 11 जून, 2014

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/मिशन निदेशक/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बजट शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/बि0प्र0सु0मि0-03-10/2013सा0प्र0-----7876-----पटना 15, दिनांक- 11 जून, 2014

प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक 03.06.2014 की बैठक में मद संख्या-09 के निर्णय के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

O.C.